

तारीख हुका

22/11/24

तहसीलदार नुमा / जयंत नारायणराव
 रायसिंहनगर के पत्रावली नं. 22/11/24
 दिनांक 22/11/24 के द्वारा जयसिंहनगर गांव, जिला
 अजमेर-302001 के नाम पर 32-2-8 की जमाबंदी समेत
 में खाता सं 23 में
 32-2-8 का नाम रायसिंहनगर 23

के स्थान पर 3-11-3 का नाम रायसिंहनगर

की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की है।
 प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कौम
 कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार शिफर्ट अनुसार
 दुरुस्ती किये जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति
 जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब
 तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंसा
 के आधार पर गाके चक 32-2-8 तहसील
 रायसिंहनगर की जमाबंदी समेत 22/11/24
 के खाता सं 23 में 32-2-8

शाखा रायसिंहनगर 23

के स्थान पर 3-11-3 शाखा रायसिंहनगर

की दुरुस्ती करने

के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी
 अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय
 का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।
 पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
 आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
 उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर
 वैद्य भावेवाहा

